कार्यालय आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश,
17 न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।

पत्र संख्याः 607/सी0/**प्रचार अनुभाग** **दिनांक** 17 **मार्च, 2020**

समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

विषयः राज्य गन्ना प्रतियोगिता हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि, राज्य गन्ना प्रतियोगिता समिति, उत्तर प्रदेश की दिनांक 07–02–2020 को सम्पन्न हुई बैठक में उ.प्र. गन्ना प्रतियोगिता नियमावली यथा संशोधित वर्ष 1993–94 में उल्लिखित प्राविधानों पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त लिये गये निर्णयों पर पेराई सत्र 2020–21 से निम्नवत् कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं:

1– पेराई सत्र 2020–21 से गन्ना विकास विभाग द्वारा राज्य/क्षेत्रीय/जोनल पर संचालित की जा रही गन्ना प्रतियोगिताओं के सम्बन्ध में प्रदेश के प्रत्येक गन्ना विकास परिषद स्तर पर इसका व्यापक वाल पेन्टिंग, पोस्टर, चीनी मिल गेट, परिषद/गन्ना समिति की बाउण्ड्रीवॉल, दैनिक समाचार–पत्र एवं गन्ना गोष्ठियों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाए। जिससे गन्ना कृषकों को गन्ना प्रतियोगितओं में प्रतिभाग करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में जागरूकता किया जा सके।

2– पेराई सत्र 2020–21 से राज्य गन्ना प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए दिनांक 07.02.2020 की आहूत बैठक के संलग्न कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–03 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3– पेराई सत्र 2020–21 से नई व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक गन्ना विकास परिषदें, यह सुनिश्चित करेंगी कि वर्ष 2020–21 के राज्य गन्ना प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले इच्छुक गन्ना कृषकों के प्रवेश–पत्र (प्रवेश शुल्क सहित) अनिवार्य रूप से 15 सितम्बर तक प्राप्त कर लिए जाए और उन प्रवेश पत्रों को शुल्क सहित उप गन्ना आयुक्तों को नियत समय में प्रेषित करें। प्राप्त प्रवेश–पत्रों एवं प्रवेश शुल्क का संकलन उप गन्ना आयुक्त स्तर पर ही किया जायेगां इस स्थिति में उप गन्ना आयुक्त प्रवेश शुल्क की संकलित धनराशि 'सचिव, राज्य गन्ना प्रतियोगिता, उत्तर प्रदेश'' को प्रेषित की जाएगी।

प्रायः यह देखा गया है कि प्रवेश–पत्र आधे अधूरे ही भरे जाते हैं जिससे उनका परीक्षण करने, संकलित करने तथा कटाई कार्यक्रम नियत करने में अत्यधिक

Scanned with CamScanner

कठिनाई होती है इसके लिए प्रयास किया जाए कि प्रवेश–पत्र में प्रतिभाग करने वाले गन्ना कृषक से सम्बन्धित पूर्ण विवरण की प्रविष्टियॉ अंकित की जाएं और भर जाने के उपरान्त इसका परीक्षण करना प्रत्येक गन्ना पर्यवेक्षक का दायित्व होगा कि अंकित की गई प्रविष्टियॉ पूर्ण एवं सत्य अंकित की गयी हैं। '' अंकित की गई प्रविष्टियॉ पूर्ण एवं सत्य है'' इस आशय का प्रमाण–पत्र अंकित करते हुए प्रवेश–पत्र के अंत में गन्ना पर्यवेक्षक तथा संबधित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किये जाएं।

4– प्रत्येक उप गन्ना आयुक्तों के स्तर पर यह भी सुनिश्चित किया जाए कि 15 सितम्बर तक प्राप्त प्रवेश–पत्रों के आधार पर कटाई कार्यक्रम नियत करते हुए चीनी मिलों के चलने के पूर्व ही निर्गत कर दिये जायें जिसमें अपने ही अधीनस्थ (श्रेणी–2 से निम्न स्तर को छोड कर) अन्य समस्त अधिकारियों को कटाई अधिकारी नामित किया जाए और यदि आवश्यकता पडे तो निकट परिक्षेत्र के सम्बन्धित उप गन्ना आयुक्त से विचार विमर्श कर कटाई अधिकारी नामित किया जाए। यह विशेष ध्यान रखा जाए कि जिस जिलें के गन्ना कृषक के खेत की कटाई होनी प्रस्तावित है उस जिले के अधिकारी को कदापि कटाई अधिकारी नामित न किया जाए। ध्यान रखा कि सामान्य पौधा, पेडी एवं शीघ्र पौघा वर्गानुसार फसलों की कटाई ससमय नियत हुई हैं। समस्त कटाई सम्पन्न हो जाने के पश्चात् कटाई परिणामों की संकलित सूचना तैयार कर कटाई परिणाम की मूल प्रतियों (प्रारूप– 1 व 2) सहित फरवरी माह के अंत तक मुख्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अतः निर्देशित किया जाता है कि, उपरोक्त व्यवस्था का अनुपालन करने/ कराने का दायित्व आपका होगा। तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक - यथा।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उ.प्र.।

पृष्ठांकन संख्याः /प्रचार अनुभाग– तद्दिनांक–

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित!

1. अपर गन्ना आयुक्त (विकास), मुख्यालय।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ लि., लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, गन्ना बीज निगम, लखनऊ।
4. समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(वाई.एस.मलिक)
अपर गन्ना आयुक्त,
मुख्यालय।

Scanned with CamScanner